

न्यायालय-सत्र न्यायाधीश, बड़वानी, जिला बड़वानी (म.प्र.)
(पीठासीन : रामेश्वर कोठे)

विशेष सत्र प्र.क.43 / 2017
संस्थित दिनांक-20.6.2017

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-
पुलिस थाना-बड़वानी,
जिला बड़वानी(म.प्र.)

.....अभियोगी

विरुद्ध

मोना पिता मलजी निगवाल भील,
उम्र 48 वर्ष, निवासी-कुंभखेत,
थाना-पाटी, जिला बड़वानी

...आरोपी

यह विशेष सत्र प्रकरण पुलिस थाना-बड़वानी, जिला बड़वानी के अपराध
क्रमांक-234 / 2017 अपराध धारा-363, 366, 368, 376 भा.द.वि. एवं
“लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012” धारा-3
सहपठित धारा-4 से उद्भूत।

राज्य द्वारा विशेष लोक अभियोजक	- श्री दुष्यंतसिंह रावत।
आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता	- श्री एस.बी.पुरोहित।

नि र्ण य

(आज दिनांक-2.4.2018 को घोषित)

1- आरोपी मोना ने दिनांक 11.4.2017 को दोपहर 12.30 बजे ग्राम लोनसरा जिला बड़वानी से अभियोक्त्री (जिसे न्याय दृष्टांत स्टेंट ऑफ पंजाब बनाम गुरमीतसिंह (1996 ए.आई.आर.सुप्रीम कोर्ट-1393) में प्रतिपादित सिद्धांत अनुसार वास्तविक नाम से इस निर्णय में संबोधित नहीं किया जा रहा है, उसे केवल अभियोक्त्री (अ.सा.1) से संबोधित किया जा रहा है), आयु 14 वर्ष, को उसके माता पिता की विधिपूर्ण संरक्षकता में से उनकी सहमति के बिना सह आरोपी राकेश के साथ सामान्य आशय बनाकर उसकी पूर्ति में सह आरोपी राकेश ने उसे अपने साथ ले जाकर उसका व्यपहरण किया तथा सह आरोपी राकेश के साथ सामान्य आशय बनाकर उसकी पूर्ति में आरोपी राकेश ने अभियोक्त्री (अ.सा.1) को अपने साथ ले जाकर उसके साथ सह आरोपी राकेश द्वारा स्वयं से विवाह करने के लिये विवश करने के आशय से या वह विवश की जायेगी यह संभाव्य जानते हुये अथवा अयुक्त संभोग करने के लिये उसे विवश या विलुब्ध करने के लिये या वह अयुक्त संभोग करने के लिये विवश या विलुब्ध की जावेगी यह संभाव्य जानते हुये उसका अपहरण किया तथा उक्त दिनांक को रात्रि में अभियोक्त्री (अ.सा.1) के साथ सह आरोपी राकेश द्वारा उसकी इच्छा एवं सहमति के बिना बलात्कार करने का सामान्य आशय बनाकर उसकी पूर्ति में सह आरोपी राकेश ने अभियोक्त्री (अ.सा.1) के साथ उसकी इच्छा एवं सहमति के बिना संभोग कर यौन हमला (बलात्संग) कारित किया, जिसमें आरोपी मोना ने सहयोग किया तथा अभियोक्त्री (अ.सा.1) को सह आरोपी राकेश के साथ उसकी पत्नी बनाकर अपने ग्राम कुंभखेत में घर पर

रखकर उसको सदोष छुपाया या सदोष परिरोध किया तथा आरोपी राकेश ने उक्त बालिका अभियोक्त्री (अ.सा.1) जो कि 18 वर्ष से कम आयु की होकर अवयस्क थी, उसकी इच्छा एवं सहमति के बिना उसके साथ सह आरोपी राकेश के द्वारा संभोग कर लैंगिक हमला (बलात्संग) कारित किया गया, जिसमें आरोपी मोना ने सहयोग किया, तदनुसार आरोपी मोना पर भारतीय दण्ड विधान (जिसे अत्र पश्चात् संक्षिप्त में 'विधान' से संबोधित किया गया है) की धारा- 363 सहपठित धारा 34, 366 सहपठित धारा 34, 376 सहपठित धारा 34, 368 तथा 'लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012" (जिसे अत्र पश्चात् संक्षिप्त में 'अधिनियम' से संबोधित किया गया है) की धारा-3 सहपठित धारा-4 का आरोप है।

2- प्रकरण में यह अविवादित है कि आरोपी मोना के साथ ग्राम कुंभखेत में उसका लड़का राकेश, पत्नी और बेटी भी रहते थे। यह भी अविवादित है कि पुलिस ने आरोपी को दिनांक 3.5.17 को प्रदर्श पी.24 के गिरफ्तारी पंचनामा अनुसार गिरफ्तार किया था तथा सह आरोपी राकेश को दिनांक 26.4.17 को प्रदर्श पी.20 के गिरफ्तारी पंचनामा अनुसार गिरफ्तार किया था, जिसकी सूचना परिजन जामा पिता किशन को प्रदर्श पी.21 अनुसार दी थी।

3- अभियोजन की कहानी संक्षेप में यह है कि घटना दिनांक 11.4.2017 को हनुमान जयंती के दिन 12.30 बजे ग्राम लोनसरा स्थित फरियादी कन्हैयालाल (अ.सा.2) के घर से उसकी लड़की अभियोक्त्री (अ.सा.1) उम्र 16 वर्ष 10 माह बिना बताये कहीं चली गयी, जिसे फरियादी कन्हैयालाल (अ.सा.2) ने आसपास तलाश किया, नहीं मिलने पर उसने घटना गांव के तेरसिंह एवं उत्तम को बतायी और आसपास के क्षेत्रों में तलाश किया, कोई पता नहीं चला। उसकी लड़की अभियोक्त्री (अ.सा.1) को कोई अज्ञात बदमाश बहला फुसलाकर भगाकर ले गया। दिनांक-13.4.17 को फरियादी कन्हैयालाल (अ.सा.2) ने तेरसिंह एवं उत्तम के साथ पुलिस थाना बड़वानी में जाकर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी.8 लिखायी, जिस पर से पुलिस ने अपराध क्र.234/17 अंतर्गत विधान की धारा 363 दर्ज किया। अभियोक्त्री (अ.सा.1) की गुमशुदगी रिपोर्ट प्रदर्श पी.7 लेखबद्ध की गयी।

4- अनुसंधान के दौरान दिनांक 13.4.17 को ही उपनिरीक्षक रमेश कोली (अ.सा.10) ने घटना स्थल ग्राम लोनसरा जाकर फरियादी कन्हैयालाल (अ.सा.2) की निशादेही से नक्शा मौका प्रदर्श पी.9 बनाया और अभियोजन साक्षीगण के पुलिस कथन लेखबद्ध किये गये। अभियोक्त्री (अ.सा.1) की आयु के संबंध में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोनसरा खुर्द को प्रदर्श पी.15 का पत्र प्रेषित किया, जहां से प्रदर्श पी.19 के पत्र अनुसार स्कालर रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी.14-सी तथा स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्रदर्श पी.13-सी प्राप्त हुई। दिनांक 26.4.17 को आरोपी राकेश के कब्जे से अभियोक्त्री (अ.सा.1) को दस्तायाब कर दस्तयाबी पंचनामा प्रदर्श पी.1 तैयार किया गया और प्रदर्श पी.2 की सहमति प्राप्त कर अभियोक्त्री (अ.सा.1) को मेडिकल परीक्षण हेतु प्रदर्श पी.16 के आवेदन के साथ जिला अस्पताल बड़वानी भेजा गया, जहां विशेषज्ञ साक्षी डॉ.सुशीला चौहान (अ.सा.7)

द्वारा परीक्षण कर प्रदर्श पी.16 की रिपोर्ट दी गयी। अभियोक्त्री (अ.सा.1) को प्रदर्श पी.10 अनुसार उसके पिता कन्हैयालाल (अ.सा.2) को सुपुर्दगी पर दिया। आरोपी राकेश को प्रदर्श पी.20 के गिरफ्तारी पंचनामा अनुसार गिरफ्तार किया गया और प्रदर्श पी.21 अनुसार सूचना उसके परिजन को दी गयी। आरोपी राकेश को प्रदर्श पी.12 के आवेदन के साथ मेडिकल परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय बड़वानी भेजा, जहां विशेषज्ञ साक्षी डॉ.अखिलेश रावत (अ.सा.4) द्वारा परीक्षण कर प्रदर्श पी.12 अनुसार रिपोर्ट दी गयी। अनुसंधान के दौरान एस.आर.पाटीदार (अ.सा.11) ने दिनांक 27.4.17 को अभियोक्त्री (अ.सा.1), कन्हैयालाल (अ.सा.2) तथा अन्य साक्षियों के पुलिस कथन की सी.डी.आर्टिकल ए-1 तैयार की तथा दिनांक 3.5.17 को आरोपी मोना को प्रदर्श पी.24 के गिरफ्तारी पंचनामा अनुसार गिरफ्तार किया। प्रकरण से संबंधित संपत्ति को रासायनिक परीक्षण के लिये प्रदर्श पी.22 के ज्ञापन अनुसार क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला इंदौर भेजा गया, जिसकी प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी.23 है। अभियोक्त्री (अ.सा.1), उसके पिता कन्हैयालाल (अ.सा.2) एवं माता रामीबाई (अ.सा.3) के धारा 164 दं.प्र.सं.के कथन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी के समक्ष करवाये गये। बाद अनुसंधान आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था।

5— आरोपी पर चरण-1 में उल्लेखित आरोप लगाया गया था, लेकिन आरोपी ने जुर्म से इंकार किया था और विचारण चाहा था। आरोपी को धारा-233 (1) दं.प्र.सं. के प्रावधान अनुसार बचाव में प्रवेश कराया गया था। आरोपी ने अपने बचाव में यह कहा है कि वह निर्दोष है तथा उसे झूठा फंसाया है। आरोपी ने बचाव साक्ष्य देना व्यक्त किया, किन्तु उसकी ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गयी। अभियोजन पक्ष ने अपने पक्ष समर्थन के लिए अभियोजन साक्षी अभियोक्त्री (अ.सा.1), कन्हैयालाल (अ.सा.2), रामीबाई (अ.सा.3), डॉ.अखिलेश रावत (अ.सा.4), विनोद कुमार सागर (अ.सा.5), मोहन बर्फा (अ.सा.6), डॉ.सुशीला चौहान (अ.सा.7), सहायक उपनिरीक्षक मोहन तिवारी (अ.सा.8), सहायक उप निरीक्षक चरणलाल शर्मा (अ.सा.9), उपनिरीक्षक रमेश कोली (अ.सा.10) एवं उप पुलिस अधीक्षक एस. आर.पाटीदार (अ.सा.11) के न्यायालयीन कथन कराए हैं।

6— मैने उभय-पक्ष के अंतिम तर्क श्रवण किए। प्रकरण का सूक्ष्म परिशीलन किया, अब मेरे समक्ष निम्नलिखित अनुसार विचारणीय प्रश्न यह है कि:—

- (1) क्या घटना दिनांक-11.4.2017 को दोपहर 12.30 बजे ग्राम लोनसरा जिला बड़वानी से अभियोक्त्री (अ.सा.1) को उसके माता पिता की विधिपूर्ण संरक्षकता में से उनकी सहमति के बिना सह आरोपी राकेश के साथ सामान्य आशय बनाकर उसकी पूर्ति में सह आरोपी राकेश ने उसे अपने साथ ले जाकर उसका व्यपहरण किया ?
- (2) क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य आशय की पूर्ति में सह आरोपी राकेश ने अभियोक्त्री (अ.सा.1) को अपने साथ ले जाकर स्वयं से

विवाह/अयुक्त संभोग करने के लिये विवश करने के आशय से या वह विवश की जावेगी, यह संभाव्य जानते हुये उसका अपहरण किया है ?

- (3) क्या उक्त दिनांक को रात्रि में सामान्य आशय की पूर्ति में सह आरोपी राकेश द्वारा अभियोक्त्री (अ.सा.-1) उम्र-14 वर्ष, के साथ उसकी इच्छा एवं सहमति के बिना संभोग कर यौन हमला (बलात्संग) कारित किया,जिसमें आरोपी मोना ने सहयोग किया ?
- (4) क्या आरोपी ने अभियोक्त्री (अ.सा.1) को सह आरोपी राकेश के साथ उसकी पत्नी बनाकर अपने ग्राम कुंभखेत में अपने घर पर रखकर उसको सदोष छुपाया या सदोष परिरोध किया ?
- (5) क्या उक्त दिनांक को रात्रि में ग्राम कुंभखेत में बालिका अभियोक्त्री (अ.सा.1) उम्र-14 वर्ष के साथ उसकी इच्छा एवं सहमति के बिना उसके साथ सह आरोपी राकेश के द्वारा संभोग कर लैंगिक हमला (बलात्संग) कारित किया है ?
- (6) दोषसिद्धी एवं दंडाज्ञा ?

सकारण-निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 लगायत 5

7- प्रकरण में साक्ष्य विवेचना की पुनरावृत्ति न हो इसलिए विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 लगायत-5 का एक साथ निराकरण किया जा रहा है। इस संबंध में अभियोजन की महत्वपूर्ण साक्षी अभियोक्त्री (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह कहा है कि वह आरोपी मोना को जानती है। आरोपी मोना आरोपी राकेश का पिता है। वह मोहन बर्फी के यहां मजदूरी करने जाती है और वहां पर आरोपीगण भी मजदूरी करते थे, इसलिए आरोपीगण को जानती है। घटना दिनांक 11.04.2017 दिन के 12:00 बजे की है। वह घटना के समय लोनसरा के हनुमान मंदिर के पास खड़ी थी, तभी आरोपी राकेश आया था और बोला था कि "चलो अपन भाग चले" उसने आरोपी राकेश को मना किया था, लेकिन वह उसे जबरदस्ती बस में बैठाकर अपने घर ग्राम कुंभखेत ले गया और वहां पर आरोपी राकेश के साथ उसके पिता आरोपी मोना भी रहते थे तथा उनके सामने आरोपी राकेश कहीं से खाना लेकर आया था और उसे खिला दिया था और उसने मेरे साथ खोटा काम किया था। उसने आरोपी राकेश को खोटा काम करने से मना किया था,लेकिन फिर भी आरोपी राकेश ने उसके साथ जबरदस्ती खोटा काम किया था। आरोपी राकेश के पिता मोना और उसकी मां उसे 'लाड़ी' कहते थे। आरोपी राकेश और वह एक ही खटिया पर अलग कमरे में सोते थे तथा आरोपी मोना और उसकी पत्नी बाहर सोते थे। आरोपी राकेश ने उसके साथ 14-15 दिन तक लगातार खोटा काम किया था। उसके बाद आरोपी राकेश उसे बड़वानी लेकर आया था और यह कहा था कि चलो कोर्ट में शादी कर लेते हैं, इसके बाद उन लोगों को पुलिस ने बड़वानी में पकड़ लिया था। साक्षी का आगे यह भी कथन है कि पुलिस वाले उसे और आरोपी राकेश को थाने ले गये थे। पुलिस ने मुझे प्रदर्श

पी.1 के दस्तायाबी पंचनामा अनुसार दस्तयाब किया था। पुलिस थाना बड़वानी पर मेरे माता-पिता आ गये थे। पुलिस ने उसका मेडिकल-परीक्षण कराने के लिए उसकी तथा मेरी मां रामलीबाई की सहमति प्र.पी.2 की लेकर उसे मेडिकल-परीक्षण के लिये जिला सरकारी अस्पताल बड़वानी भेजा था। जिला अस्पताल बड़वानी में लेडिस डॉक्टर ने सहमति से उसका मेडिकल-परीक्षण किया था। पुलिस ने घटना के बारे में उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था, उस समय कैमरा लगाकर विडियोग्राफी ली गयी थी, जिसका पंचनामा प्र.पी.3 है। पुलिस ने उसके बड़वानी न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराए थे। साक्षी को प्रदर्श पी.4 का धारा-164 दं.प्र.सं. का कथन पढ़कर सुनाये जाने पर उसने प्रदर्श पी-4 का बयान देना प्रकट किया। मेडिकल-परीक्षण कराने के बाद उसे मेरे पिता कन्हैयालाल (अ.सा.2) के सुपुर्द कर दिया था।

8- अभियोक्त्री (अ.सा.1)के पिता कन्हैयालाल (अ.सा.2) ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि घटना उसके कथन दिनांक 31.7.17 से दो-तीन महीने पूर्व हनुमान जयंती की है। घटना वाले दिन मेरी लड़की अभियोक्त्री (अ.सा.1) दिन के बारह-साढ़े-बारह बजे हनुमान मंदिर जीमने के लिए गयी थी और वह उसे दो-तीन बजे लेने के लिए गया था, तो वह हनुमान मंदिर पर नहीं थी, तो उसने ग्राम लोनसरा में सब जगह तलाश किया, तो लड़की नहीं मिली थी। उसके बाद उसने अपने रिश्तेदारों में बाहर गांव में भी तलाश किया था, तो लड़की नहीं मिली थी। उसने घटना वाले दिन और बाद वाले दिन तक अभियोक्त्री (अ.सा.1) को ढूँढा था, लेकिन वह नहीं मिली थी, इसलिए उसने पुलिस थाना बड़वानी पर रिपोर्ट की थी, जिसकी गुमशुदगी रिपोर्ट प्र.पी.7 तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.8 है। पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल का नक्शा मौका उसके बताये अनुसार प्र.पी.9 का बनाया था। साक्षी का यह भी कथन है कि घटना के 15 दिन बाद उसकी लड़की अभियोक्त्री (अ.सा.1) पुलिस थाना बड़वानी पर आई थी, तो पुलिस ने उसे बुलाया था, इसलिए वह और उसकी पत्नी रामलीबाई (अ.सा.1) पुलिस थाने पर आए थे। पुलिस ने हमारे सामने अभियोक्त्री (अ.सा.1) को दस्तयाब किया था तथा उनकी सहमति से उसका मेडिकल-परीक्षण कराया था। उसकी लड़की अभियोक्त्री (अ.सा.1) ने पुलिस को घटना के बारे में कहा था। पुलिस ने उसकी लड़की अभियोक्त्री (अ.सा.1) के बयान लेते समय विडियोग्राफी की थी और उसका पंचनामा बनाया था, पंचनामा प्र.पी.3 है। मेडिकल-परीक्षण कराने के बाद पुलिस ने मेरी लड़की अभियोक्त्री (अ.सा.1) को उसके सुपुर्द कर दिया था, जिसका पंचनामा प्र.पी.10 है। उसकी लड़की अभियोक्त्री (अ.सा.1) ने उसे यह बताया था कि आरोपी राकेश ने उससे यह कहा था कि वह उंची जाति का है तथा उसे पत्नी बनाना चाहता है और वह उसे अच्छे से रखेगा और वह उसे अपने गांव कुंभखेत ले गया था और वहां पर 15 दिन तक रखा था और वहां पर उसके साथ 15 दिन तक आरोपी राकेश ने बुरा काम दुष्कर्म किया था। उसकी लड़की अभियोक्त्री (अ.सा.1) ने उसे यह भी बताया था कि कुंभखेत वाले उस घर पर आरोपी राकेश के साथ उसके पिता हाजिर आरोपी मोना और उसकी पत्नी भी रहते थे। उसे उसकी लड़की अभियोक्त्री (अ.सा.1) ने यह नहीं बताया कि आरोपी मोना और उसकी पत्नी उसकी लड़की अभियोक्त्री (अ.सा.1) को क्या कहते थे और यह भी नहीं बताया था

कि वह घर में कहां पर और किस प्रकार सोते थे। पुलिस ने घटना के बारे में उससे पूछताछ कर बयान लिया था। उसके बड़वानी न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए थे। साक्षी को धारा-164 द.प्र.सं. का कथन प्र.पी.11 पढ़कर सुनाये जाने पर उसने ऐसा बयान दिया जाना स्वीकार किया।

9— अभियोक्त्री (अ.सा.1) की माता रामीबाई (अ.सा.3) ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि वह आरोपीगण को जानती है। उसकी लड़की अभियोक्त्री (अ.सा.1) आरोपी राकेश के साथ भागकर गयी थी, इसी कारण से वह आरोपी राकेश और उसके पिता आरोपी मोना को जानती है। फिर कहा कि आरोपी राकेश भगाकर ले गया था। घटना 11 तारीख हनुमान जयंती के दिन की होकर करीब चार माह पहले की है। घटना वाले दिन उसकी लड़की अभियोक्त्री (अ.सा.1) हनुमान जयंती के भंडारे में खाना खाने के लिए गयी थी और वहां से वह चली गयी थी। उन्होंने उसकी लड़की अभियोक्त्री (अ.सा.1) को आसपास तथा रिश्तेदारों में ढूँढा था, उसके नहीं मिलने पर उसके पति कन्हैयालाल (अ.सा.2) ने थाने पर रिपोर्ट की थी। घटना के करीब 15 दिन बाद 26 तारीख को उसकी लड़की अभियोक्त्री (अ.सा.1) ग्राम कुंभखेत में आरोपी राकेश के घर पर मिली थी। उसकी लड़की अभियोक्त्री (अ.सा.1) को पुलिस वाले ग्राम कुंभखेत से पुलिस थाना बड़वानी पर लाए थे। वह और उसका पति कन्हैयालाल को पुलिस ने सूचना दी थी, तो वे लोग भी थाने पर गये थे। पुलिस ने उसकी व लड़की की सहमति से अभियोक्त्री (अ.सा.1) को मेडिकल-परीक्षण कराने के लिये महिला अस्पताल बड़वानी भेजा था, जहां पर लेडिस डॉक्टर ने उसका मेडिकल-परीक्षण किया था। उसके सामने उसकी लड़की अभियोक्त्री (अ.सा.1) के पुलिस ने बयान लिये थे तथा उसके भी बयान लिये थे। पुलिस ने उसकी लड़की अभियोक्त्री (अ.सा.1) को उनके सुपुर्द किया था। उसकी लड़की अभियोक्त्री (अ.सा.1) ने उसे यह बताया था कि आरोपी राकेश उसे मोहन बर्फा (अ.सा.6) की बाड़ी से भगाकर बोरलाय तक पैदल ले गया था और बोरलाय से बस से अपने ग्राम कुंभखेत ले गया था और वहां पर 15 दिन तक रखा था। आरोपी राकेश ने उसकी लड़की अभियोक्त्री (अ.सा.1) के साथ 15 दिन तक खोटा काम किया था। उसकी लड़की अभियोक्त्री (अ.सा.1) ने उसे यह भी बताया था कि ग्राम कुंभखेत में आरोपी राकेश के माता-पिता और बहन उसके साथ रहते थे। आरोपी राकेश के माता-पिता उसकी लड़की अभियोक्त्री (अ.सा.1) को राकेश की 'लाड़ी' कहते थे। उसे उसकी लड़की अभियोक्त्री (अ.सा.1) ने यह भी बताया था कि वह और आरोपी राकेश एक कमरे में सोते थे तथा घर के बाकी लोग इधर-उधर सोते थे। उसकी लड़की अभियोक्त्री (अ.सा.1) को ढूँढने के लिए मेरे पति, तेरसिंह और मोहन बर्फा आरोपी राकेश के घर गये थे, लेकिन उसकी लड़की अभियोक्त्री (अ.सा.1) वहां पर नहीं मिली थी। उसकी लड़की अभियोक्त्री (अ.सा.1) कुंभखेत में बाहर लेट्रीन, बाथरूम करने जाती थी, तो उसके साथ आरोपी राकेश की बहन भी जाती थी।

10— अभियोजन साक्षी मोहन बर्फा (अ.सा.6) ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि वह ग्राम लोनसरा रहता है और खेती का कार्य करता है। वह आरोपी राकेश और उसके पिता मोना को जानता है। आरोपी राकेश उसके खेत में भिण्डी

तोड़ने के लिए आया था और खेत पर ही उसके मकान में रहता था। वह अभियोक्त्री (अ.सा.1) को जानता है, वह उसके खेत में काम करने के लिए आती थी तथा उसके खेत से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर रहती थी। अभियोक्त्री (अ.सा.1) के पिता कन्हैयालाल(अ.सा.2) को जानता है। घटना पिछले साल हनुमान जयंती की है। घटना के एक दिन बाद कन्हैयालाल(अ.सा.2) उसके पास उसकी लड़की अभियोक्त्री(अ.सा.1) के बारे में पूछने के लिए आया था, क्योंकि वह कहीं चली गयी थी तो उसने उसे यह बताया था कि वह खेत पर काम करने भी नहीं आ रही है, कहाँ गयी है, उसे भी नहीं मालूम। उसने कन्हैयालाल को यह भी बताया था कि काम पर जिस दिन से अभियोक्त्री (अ.सा.1) नहीं आ रही है, उस दिन से आरोपी राकेश भी नहीं आ रहा है। अभियोक्त्री(अ.सा.1) के पिता कन्हैयालाल ने उससे पूछा था कि आरोपी राकेश कहां रहता है तो उसने ग्राम कुंभखेत में रहना बताया था। घटना के चार दिन बाद वह, कन्हैयालाल(अ.सा.2) तथा तेरसिंह के साथ कुंभखेत आरोपी राकेश के घर गये थे। आरोपी राकेश के घर उसकी माँ और बहन थी, तो उनसे उन्होंने अभियोक्त्री(अ.सा.1) के बारे में पूछा था कि क्या वह यहां आई थी, तो उन्होंने यह बताया था कि सपना उनके घर नहीं आई है, घर पर आरोपी राकेश उन्हें नहीं मिला था, तो फिर वे लोग वापस आ गये थे। साक्षी का आगे यह कथन है कि आरोपी राकेश भी उसके घर पर घटना के बाद से नहीं था, इसलिए शक के आधार पर आरोपी राकेश के विरुद्ध कन्हैयालाल (अ.सा.1) ने पुलिस थाना बड़वानी में रिपोर्ट की थी। घटना के करीब 15 दिन बाद अभियोक्त्री(अ.सा.1) वापस आई थी और उस समय वह पुलिस थाना बड़वानी गया था। पुलिस थाना बड़वानी पर अभियोक्त्री(अ.सा.1) के माता-पिता आ गये थे और भूतपूर्व सरपंच तेरसिंह भी आ गया था, इनकी थाने पर कुछ लिखा-पढ़ी हुई थी, लेकिन वह घर वापस आ गया था।

11— अभियोजन साक्षी पुलिस थाना राजपुर के सहायक उपनिरीक्षक मोहन तिवारी (अ.सा.8) ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि दिनांक 13.04.17 को फरियादी कन्हैयालाल(अ.सा.1) ने तेरसिंह पिता हीराजी और उत्तमसिंह के साथ पुलिस थाना बड़वानी पर मौखिक रिपोर्ट उसकी लड़की अभियोक्त्री(अ.सा.1) आयु-16 वर्ष 10 माह को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने के संबंध में लिखाई थी, जिसके आधार पर उसने पुलिस थाना बड़वानी के अपराध क्र.234/17 अपराध धारा-363 भा.द.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.8 की दर्ज की थी। उसने उसी दिनांक को फरियादी कन्हैयालाल (अ.सा.1) की रिपोर्ट के आधार पर गुम इंसान क्र.33/17 की गुमशुदगी रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जो प्र.पी.7 है।

12— विशेषज्ञ साक्षी डॉ.सुशीला चौहान (अ.सा.7) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह कहा है कि दिनांक 26.4.2017 को महिला जिला चिकित्सालय बड़वानी में उसने अभियोक्त्री (अ.सा.1) का परीक्षण किया था, जिसके बाहरी परीक्षण में पाया कि अभियोक्त्री(अ.सा.1) की स्थिति सामान्य होकर उसके उपर और नीचे के दांत 14-14 थे। उसके शरीर के बाहरी भाग पर कोई चोट खरोच या संघर्ष के निशान नहीं थे। अभियोक्त्री (अ.सा.1) के द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्यूबिक

हेयर,कांख के बाल और स्तन पूर्ण विकसित थे। अभियोक्त्री(अ.सा.1) की आखरी माहवारी परीक्षण के 7 दिन पहले बतायी थी। योनि परीक्षण में अभियोक्त्री(अ.सा.1) के गुप्तांग पर कोई भी चोट का निशान तथा खून और वीर्य मड वगैरा के निशान नहीं थे, उसकी योनि छिल्ली पुरानी फटी हुई और भरी हुई थी और योनि में कोई खून या चोट का निशान नहीं होना पाया गया था। इस साक्षी के अभिमत अनुसार अभियोक्त्री (अ.सा.1) के साथ बलात्कार के संबंध में कोई निश्चित अभिमत नहीं दिया जा सकता था। इसलिये अभियोक्त्री(अ.सा.2) की योनि के स्त्राव की दो स्लाइड तैयार की थी तथा उसके प्यूबिक हेयर और पिक रंग का पेटीकोट सीलबंद कर सील नमूना सहित संबंधित महिला आरक्षक को दिया गया था। उसके द्वारा दिया गया प्रतिवेदन प्रदर्श पी.16 है। इस साक्षी ने अपने कथन में यह भी कहा है कि अभियोक्त्री (अ.सा.1) की आयु की जांच के लिये एक्सरे एवं प्रिगनेसी टेस्ट की सलाह दी गयी थी। इस प्रकार विशेषज्ञ साक्षी डॉ.सुशीला चौहान (अ.सा.7) के द्वारा अभियोक्त्री(अ.सा.1) के साथ बलात्कार होने के संबंध में कोई निश्चित अभिमत नहीं दिया गया है।

13— विशेषज्ञ साक्षी डॉ.अखिलेश रावत (अ.सा.4), जिसने सह आरोपी राकेश का मेडिकल परीक्षण किया था, ने अपने न्यायालयीन कथन में यह कहा है कि उसने दिनांक 27.4.2017 को जिला चिकित्सालय बड़वानी में आरोपी राकेश उम्र 17 वर्ष का मेडिकल परीक्षण किया था, जिसके बाहरी परीक्षण में पाया कि आरोपी राकेश की शारीरिक बनावट एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की थी, उसके सेकेण्डरी सेक्सुअल कैरेक्टर जै दाढ़ी मुछ और गुप्तांग के बाल पूरी तरह विकसित थे और आरोपी के शरीर पर कहीं कोई चोट नहीं पायी गयी थी। लिंग परीक्षण में आरोपी राकेश का पेनिस पूरी तरह वयस्क स्थिति में विकसित था और उसके लिंग के उपर की चमड़ी के नीचे व अग्र भाग साफ था व उसमें स्मेगमा नहीं पाया गया था। आरोपी मोना के अंडकोष सामान्य रूप से विकसित थे और उसके टेस्टिस सामान्य रूप से विकसित होकर सामान्य आकार के थे। आरोपी की जननांग पर कोई चोट के निशान नहीं होना पाये गये थे। साक्षी के अभिमत अनुसार आरोपी राकेश संभोग करने में पूर्णतः सक्षम था। उसके द्वारा आरोपी के वीर्य की दो स्लाइडे तैयार की थी तथा प्यूबिक हेयर और अंडरवीयर को सीलबंद कर सीलबंद पैकेट संबंधित आरक्षक को दिया था। उसके द्वारा आरोपी राकेश की आयु की जांच कराने के लिये एक्सरे की सलाह दी गयी थी। उसके द्वारा दिया गया प्रतिवेदन प्रदर्श पी.12 है। इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया,जिससे उसके कथन पर अविश्वास किया जा सके। इस प्रकार विशेषज्ञ साक्षी डॉ.अखिलेश रावत (अ.सा.4) के कथन से यह बात प्रमाणित होती है कि सहआरोपी राकेश संभोग करने के लिये सक्षम था।

14— अभियोजन साक्षी सहायक उपनिरीक्षक चरणलाल शर्मा(अ.सा.9) ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि दिनांक 26.4.2017 को पुलिस थाना बड़वानी के अपराध क्र. 234/17 धारा-363, 366, 376(2), 506 भा.द.वि. एवं धारा-3/4 'लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012' एवं 3(2)5 एस.सी.एस.टी.एक्ट में महिला आरक्षक आशा नं.352 पुलिस थाना बड़वानी ने

उसके समक्ष अभियोक्त्री(अ.सा.1) से संबंधित जिला अस्पताल बड़वानी की सील से सीलबंद तीन पैकेट और बड़वानी अस्पताल की सील नमूना पेश की थी, जिसे उसके द्वारा साक्षी प्रधान आरक्षक शिवराम और आरक्षक संदीप के समक्ष जप्त किया था, जिसका जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी.17 का बनाया था। दिनांक 27.04.2017 को आरक्षक संतोष नं. 511 पुलिस थाना बड़वानी जिला अस्पताल बड़वानी से आरोपी राकेश से संबंधित दो सीलबंद पैकेट और अस्पताल की नमूना सील पेश किये थे, जिसे उसने पंचान प्रधान आरक्षक शिवराम और आरक्षक जगन के समक्ष जप्त किया था, जिसका जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी.18 है।

15— विवेचक साक्षी उपनिरीक्षक रमेश कोली (अ.सा.10) ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि दिनांक 13.04.17 को उसे पुलिस थाना बड़वानी के अपराध क्र.234/17 अपराध धारा-363 भा.द.वि. की केस-डायरी विवेचना के लिए प्राप्त हुई थी। विवेचना के दौरान उसने उक्त दिनांक को ही घटनास्थल ग्राम लोनसरा पहुंचकर फरियादी कन्हैयालाल की निशांदाही पर घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.9 बनाया था और उसके द्वारा फरियादी साक्षी कन्हैयालाल(अ.सा.2), साक्षी रामीबाई(अ.सा.3), साक्षी तेरसिंह एवं साक्षी उत्तम के पुलिस कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा अभियोक्त्री (अ.सा.1) की आयु के संबंध में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोनसरा खुर्द को स्कॉलर रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं उम्र संबंधी जानकारी देने हेतु पत्र प्रदर्श पी.15 प्रेषित किया था। दिनांक 26.04.17 को उक्त स्कूल से प्रदर्श पी.19 के पत्र के साथ स्कॉलर रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी.14-सी एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.13-सी प्राप्त हुई थी। दिनांक 26.04.17 को उसने मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी राकेश के कब्जे से अभियोक्त्री (अ.सा.1) को बड़वानी कोर्ट के सामने रोड़ से दस्तयाब कर थाने लेकर गया था, जहां मेरे द्वारा प्र.पी.1 का दस्तयाबी पंचनामा बनाया गया था। इसी दिनांक को उसने अभियोक्त्री (अ.सा.1) का मेडिकल-परीक्षण कराने के लिए सहमति पत्र प्रदर्श पी.2 प्राप्त कर अभियोक्त्री (अ.सा.1) को आवेदन प्रदर्श पी.16 अनुसार महिला आरक्षक आशा नं. 352 के साथ चिकित्सा परीक्षण के लिए महिला जिला अस्पताल बड़वानी भेजा था। बाल अपचारी राकेश निंगवाल पिता मोना निंगवाल मानकर को पंचान जामा और सुरसिंह के समक्ष विधिवत् गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी.20 का बनाया था और गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजन को प्रदर्श पी.21 अनुसार दी थी। बाल अपचारी राकेश को गिरफ्तारी पश्चात् मेडिकल-परीक्षण हेतु आवेदन प्रदर्श पी.12 अनुसार आरक्षक संतोष मंडलोई नं.511 के साथ जिला चिकित्सालय बड़वानी भेजा था। उसने अभियोक्त्री(अ.सा.1) को उसके पिता कन्हैयालाल को प्रदर्श पी.10 के अनुसार सुपुर्दगी पर दिया था। दिनांक 13.05.17 को प्रकरण से संबंधित संपत्ति पुलिस अधीक्षक बड़वानी के ज्ञापन प्रदर्श पी.22 से रासायनिक परीक्षण के लिए क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला इंदौर भेजी थी, जिसकी प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी.23 है। उसने दिनांक 28.04.17 को अभियोक्त्री(अ.सा.1), उसके पिता कन्हैयालाल (अ.सा.2) तथा माता रामीबाई(अ.सा.3) के धारा-164 द.प्र.सं. के कथन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी से कराए थे।

16— अभियोजन साक्षी एस.आर.पाटीदार(अ.सा.11) ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि वह दिनांक 24.04.17 को पुलिस थाना अ.जा.क. में डी.एस.पी. के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसने अनुसंधान के दौरान साक्षी अभियोक्त्री(अ.सा.1), साक्षी रामीबाई (अ.सा.3), कन्हैयालाल (अ.सा.2), साक्षी तेरसिंह और साक्षी मोहन (अ.सा.6) के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 27.04.2017 को थाना अजाक बड़वानी पर फरियादी कन्हैयालाल(अ.सा.2), अभियोक्त्री (अ.सा.1) तथा अन्य साक्षियों के पुलिस कथन की विडीयोग्राफी तैयार कर पंचनामा प्रदर्श पी.3 का बनाया था, जिसकी सी.डी. आर्टिकल ए-1 की तैयार कराई थी। अनुसंधान के दौरान उसने दिनांक 03.05.17 को अपराध क.234/17 धारा-363, 366, 368, 376 भा.द.वि. एवं धारा-3/4 'लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012' एवं 3(2)5, 3(2)5क 'अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम 2015' के अंतर्गत आरोपी मोना पिता मलजी निंगवाल, उम्र-48 वर्ष, निवासी ग्राम कुंभखेत को पुलिस थाना अ.जा.क. बड़वानी पर पंच सुरसिंह और पाच्या के समक्ष प्रदर्श पी.24 के गिरफ्तारी पंचनामा अनुसार गिरफ्तार किया था। उसने अनुसंधान के दौरान यह पाया था कि आरोपी मोना भी 'अनुसूचित जनजाति' का सदस्य है, इसलिए केस-डायरी पुलिस अधीक्षक के माध्यम से अनुसंधान के लिये थाना प्रभारी बड़वानी को भेज दी थी।

17— अभियोजन की ओर से यह तर्क किया गया है कि अभियोजन ने अपनी साक्ष्य से यह प्रमाणित किया कि आरोपी ने अवयस्क अभियोक्त्री(अ.सा.1) को अपने घर पर रखकर उसे सदोष छिपाया तथा सह आरोपी द्वारा किये गये कृत्य में सहयोग किया गया। जबकि आरोपी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अभियोक्त्री(अ.सा.1) के प्रतिपरीक्षण में जो स्वीकारोक्ति आयी है, उससे यह प्रमाणित होता है कि वह एक सहमत पक्षकार होकर अपनी स्वयं की इच्छा से आरोपी राकेश के साथ गयी थी तथा उसके द्वारा आरोपी के साथ जाने व रहने के दौरान रास्ते में किसी को घटना के बारे में नहीं बताया था। अभियोजन साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक को अभियोक्त्री 18 वर्ष से कम आयु की थी। अभियोजन साक्षीगण के न्यायालयीन कथन एवं पुलिस कथन में भी गंभीर विरोधाभास है। ऐसी स्थिति में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती है।

18— उभय पक्ष की ओर से किये गये तर्कों के आलोक में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभियोक्त्री(अ.सा.1) अपने प्रतिपरीक्षण के चरण-4 में यह स्वीकार करती है कि मोहन बर्फा के यहां मजदूरी करने के दौरान ही उसने और आरोपी राकेश ने यह तय किया था कि उन दोनों का शादी करना है और शादी करने के लिये जाना है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के चरण-5 में स्वीकार किया है कि अनुमान मंदिर से आरोपी ने उसे अपने साथ ले जाने के लिये किसी हथियार को दिखाकर जान से मारने की धमकी नहीं दी थी। यह भी स्वीकार किया कि जब वह ग्राम लोनसरा से जा रही थी, उस समय भी आरोपी राकेश ने उसे किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी थी। यह भी स्वीकार किया कि हनुमान मंदिर के भंडारे में गांव

के बहुत से लोग खाना खाने के लिये आये थे और उसने उन लोगों को यह नहीं बताया था कि उसे आरोपी राकेश जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा है। यह भी स्वीकार किया कि मोहन बर्फा की गांव में किराना दुकान भी है और जब वह आरोपी राकेश और उसकी भाभी के साथ जा रही थी, तो किराना दुकान पर मोहन बर्फा ने उससे यह पूछा था कि कहां जा रही है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के चरण-6 में घटना के समय आरोपी राकेश और उसकी भाभी डुडीबाई के साथ ग्राम लोनसरा से बोरलाय तक पैदल आना, रास्ते में हनुमान मंदिर जाने वाले बहुत से लोग उसे मिलना, किन्तु किसी को आरोपी राकेश द्वारा उसे जबरदस्ती ले जाने के बारे में न बताना, बोरलाय बस स्टैंड पर वह आरोपी राकेश और उसकी भाभी के साथ करीब डेढ़ घंटे तक बस के इंतजार में खड़ी रहना, इस दौरान आ जा रहे लोगों को आरोपी राकेश द्वारा उसे जबरदस्ती ले जाने के बारे में न बताया जाना, बोरलाय से बस में बैठते समय आरोपी राकेश द्वारा उसे हथियार दिखाकर बस में जबरदस्ती बैठने की धौंस न दिया जाना, बस में यात्रियों को भी आरोपी राकेश द्वारा उसे जबरदस्ती ले जाने के बारे में न बताया जाना और न ही चिल्ला चोट किया जाना भी स्वीकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के चरण-7 में स्वीकार किया है कि बोरलाय से कुंभखेत जाने वाली बस बड़वानी में आधा पौन घंटा तक रुकी थी। यह भी स्वीकार किया कि बड़वानी में बस रुकी थी और उस दौरान वह बस से नीचे उतरी थी तथा बाद में फिर बस में बैठी थी और बस में दूसरी सवारियां भी बैठी थी। यह भी स्वीकार किया कि इस दौरान भी उसने बस में बैठे यात्रियों को उसने यह नहीं बताया कि आरोपी राकेश उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा है। साक्षी ने 15 दिन तक ग्राम कुंभखेत में रहने के दौरान लेट्रीन के लिये घर के बाहर जाना और कभी कभी अकेले जाना भी स्वीकार किया है।

19— अभियोक्त्री (अ.सा.1) के प्रतिपरीक्षण में आयी उपरोक्त स्वीकारोक्तियों के आधार पर यह प्रकट होता है कि अभियोक्त्री (अ.सा.1) स्वयं अपनी इच्छा से आरोपी राकेश के साथ ग्राम कुंभखेत उसके घर गयी थी और शादी करना चाहती थी तथा अपने पिता के घर वापस नहीं आना चाहती थी। इस संबंध में साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के चरण-8 में स्वीकार किया कि ग्राम कुंभखेत में उसके गांव के तेरसिंह पटेल, मोहन बर्फा और उत्तम उसे लेने के लिये गये थे तो उसने उनके साथ जाने से मना कर दिया था। यह भी स्वीकार किया कि जिस दिन बड़वानी में पुलिस ने उनको पकड़ा था, उस दिन वह आरोपी राकेश के साथ शादी करने के लिये बड़वानी आयी थी और उस समय उसने कोई चिल्ला चोट नहीं की थी। इस प्रकार अभियोक्त्री (अ.सा.1) एक सहमत पक्षकार होना प्रकट होती है। अतः बचाव पक्ष की ओर से अभियोक्त्री (अ.सा.1) के सहमत पक्षकार होने संबंधी किये गये तर्क मान्य किये जाने योग्य है तथा इस संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के तीन पीठ के न्याय दृष्टांत सुधा बनाम करणसिंह एवं अन्य (2007 भाग-2 एम.पी. डब्ल्यू.एन.118), खुमानसिंह एवं अन्य बनाम स्टेट आफ एम.पी. (2011 भाग-2 एम.पी.डब्ल्यू.एन.71), कचेरू बनाम उत्तरप्रदेश राज्य (1984 ए.सी.सी. 57), नरेन्द्र सिंह बनाम मध्यप्रदेश राज्य (1996 कि.लॉ.ज. 198 एम.पी) और कैलाश बनाम म0प्र0 राज्य (आई.एल.आर. 2009 एम.पी. नोट-2) में प्रतिपादित सिद्धांत अवलोकनीय है।

20— इस प्रकार अभियोक्त्री (अ.सा.1) एक सहमत पक्षकार होने से यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी मोना द्वारा उसे अपने घर पर सदोष छिपाया या परिरोध किया गया। इस संबंध में स्वयं अभियोक्त्री (अ.सा.1) ने प्रतिपरीक्षण के चरण-7 के अंत में यह स्वीकार किया कि ग्राम कुंभखेत में रहने के दौरान बाहर जाते समय आरोपी राकेश तथा उसके परिवार के लोगों ने उसे यह धौंस नहीं दी थी कि बाहर मत जाना और बाहर जाकर किसी को बताना मत। उपरोक्त के अतिरिक्त अभियोजन कहानी अनुसार अभियोक्त्री (अ.सा.1) के पिता कन्हैयालाल (अ.सा.2) द्वारा घटना के बारे में सर्वप्रथम गांव के तेरसिंह व उत्तम को बताया गया था उनके साथ थाने पर जाकर रिपोर्ट की गयी थी, किन्तु अभियोजन की ओर से उक्त साक्षी तेरसिंह व उत्तम के कथन नहीं कराये गये हैं। अभियोजन साक्षी एस. आर.पाटीदार (अ.सा.11) ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि वह दिनांक 24.4.17 को पुलिस थाना अ.जा.क. में डी.एस.पी.के पद पर पदस्थ था और उक्त दिनांक को उसने अनुसंधान के दौरान अभियोक्त्री (अ.सा.1) के कथन लेखबद्ध किये थे। जबकि अभियोक्त्री (अ.सा.1) को प्रदर्श पी.1 के दस्तचाबी पंचनामा अनुसार दिनांक 26.4.17 को दस्तयाब किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य विश्वसनीय होना नहीं मानी जा सकती है।

21— प्रकरण में अब यह देखना है कि घटना के समय अभियोक्त्री (अ.सा.2) की आयु क्या थी ? इस संबंध में अभियोजन पक्ष ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लोनसरा के वरिष्ठ अध्यापक विनोद कुमार सागर (अ.सा.5) के कथन कराये हैं। इस साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि उनके स्कूल में अभियोक्त्री (अ.सा.1) ने दिनांक 30.6.14 को कक्षा 9 वीं में पूर्व स्कूल शासकीय माध्यमिक विद्यालय लोनसरा खुद के स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्रदर्श पी.13 के आधार पर प्रवेश लिया था। उनकी स्कूल के स्कालर रजिस्टर के अनुक्रमांक 1626 पर अभियोक्त्री (अ.सा.1) का नाम दर्ज है, जिसके अनुसार अभियोक्त्री (अ.सा.1) की जन्मतिथि 08 जून 2000 है। स्कालर रजिस्टर प्रदर्श पी.14 होकर फोटो प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी.14 सी है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी स्वीकार करता है कि अभियोक्त्री (अ.सा.1) की पूर्व स्कूल में उसकी जन्मतिथि किस आधार पर लिखी है, उसे जानकारी नहीं है, यदि जन्मतिथि गलत आधार पर लिखी हो तो भी वह नहीं बता सकता। यह भी स्वीकार किया कि स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्रदर्श पी.13 के आधार पर ही उनके स्कूल में अभियोक्त्री (अ.सा.1) को प्रवेश दिया गया था और उसी आधार पर उसकी जन्मतिथि उनके स्कूल के स्कालर रजिस्टर में अंकित की गयी है। स्कालर रजिस्टर प्रदर्श पी.14 पर अभियोक्त्री (अ.सा.1) से संबंधित प्रविष्टियां उसके द्वारा नहीं की गयी हैं।

22— आयु के संबंध में स्वयं अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने स्कूल में प्रवेश लेते समय उसके जन्म संबंधी कोई दस्तावेज नहीं दिया था। वह कक्षा पहली में स्कूल में प्रवेश लेने के लिये गयी थी, तब उसकी उम्र कितनी थी, नहीं बता सकती। इसी प्रकार अभियोक्त्री (अ.सा.-1) की मां रामीबाई (अ.सा.-3) ने भी प्रतिपरीक्षण के चरण-4 में स्वीकार किया कि

उसकी लड़की अभियोक्त्री (अ.सा.-1) के जन्म के संबंध में कोई जन्म प्रमाणपत्र नहीं है। इसलिये उक्त साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में आयी स्वीकारोक्तियों को देखते हुये अभियोक्त्री (अ.सा.1) की जन्मतिथि उसके स्कूल के अभिलेख के आधार पर निर्धारित नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त अभियोक्त्री (अ.सा.-1) का मेडिकल परीक्षण करने वाली विशेषज्ञ साक्षी डॉ.सुशीला चौहान (अ.सा.7) ने भी अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि अभियोक्त्री (अ.सा.-1) के द्वितीयक लैंगिक लक्षण,प्यूबिक हेयर,कांख के बाल और स्तन पूर्णतः विकसित थे। अभियोजन पक्ष ने अभियोक्त्री (अ.सा.-1) की आयु की जांच हेतु एकसरे परीक्षण करने वाले चिकित्सक के कथन नहीं कराये हैं, जिसके आधार पर उसकी वास्तविक आयु प्राप्त की जा सकती थी। इस संबंध में न्याय दृष्टांत दिलीपसिंह गुर्जर विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य {2013(2)एम.पी.विकली नोट-56} अवलोकनीय है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष यह बात संदेह से परे प्रमाणित नहीं कर सका है कि घटना दिनांक को अभियोक्त्री (अ.सा.-3) की आयु 18 वर्ष से कम थी।

23— इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित साक्षियों के न्यायालयीन कथनों के आधार पर अभियोजन पक्ष आरोपी के विरुद्ध यह बात समस्त युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कर सका है कि आरोपी मोना ने दिनांक 11.4.2017 को दोपहर 12.30 बजे ग्राम लोनसरा जिला बड़वानी से अभियोक्त्री (अ.सा.1) आयु 14 वर्ष, को उसके माता पिता की विधिपूर्ण संरक्षकता में से उनकी सहमति के बिना सह आरोपी राकेश के साथ सामान्य आशय बनाकर उसकी पूर्ति में सह आरोपी राकेश ने उसे अपने साथ ले जाकर उसका व्यपहरण किया तथा सह आरोपी राकेश के साथ सामान्य आशय बनाकर उसकी पूर्ति में आरोपी राकेश ने अभियोक्त्री (अ.सा.1) को अपने साथ ले जाकर उसके साथ सह आरोपी राकेश द्वारा स्वयं से विवाह करने के लिये विवश करने के आशय से या वह विवश की जायेगी यह संभाव्य जानते हुये अथवा अयुक्त संभोग करने के लिये उसे विवश या विलुब्ध करने के लिये या वह अयुक्त संभोग करने के लिये विवश या विलुब्ध की जावेगी यह संभाव्य जानते हुये उसका अपहरण किया तथा उक्त दिनांक को रात्रि में अभियोक्त्री (अ.सा.1) के साथ सह आरोपी राकेश द्वारा उसकी इच्छा एवं सहमति के बिना बलात्कार करने का सामान्य आशय बनाकर उसकी पूर्ति में सह आरोपी राकेश ने अभियोक्त्री (अ.सा.1) के साथ उसकी इच्छा एवं सहमति के बिना संभोग कर यौन हमला (बलात्संग) कारित किया,जिसमें आरोपी मोना ने सहयोग किया तथा अभियोक्त्री (अ.सा.1) को सह आरोपी राकेश के साथ उसकी पत्नी बनाकर अपने ग्राम कुंभखेत में घर पर रखकर उसको सदोष छुपाया या सदोष परिरोध किया तथा आरोपी राकेश ने उक्त बालिका अभियोक्त्री (अ.सा.1) जो कि 18 वर्ष से कम आयु की होकर अवयस्क थी,उसकी इच्छा एवं सहमति के बिना उसके साथ सह आरोपी राकेश के द्वारा संभोग कर लैंगिक हमला (बलात्संग) कारित किया गया,जिसमें आरोपी मोना ने सहयोग किया, तदनुसार विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01 लगायत 05 का निराकरण किया जा रहा है।

24— इस प्रकार निष्कर्ष स्वरूप अभियोजन पक्ष ने आरोपी के विरुद्ध विधान की धारा- 363 सहपठित धारा 34, 366 सहपठित धारा 34, 376 सहपठित धारा

34, 368 तथा अधिनियम की धारा-3 सहपठित धारा-4 के दंडनीय आरोप समस्त युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है, इसलिए उपरोक्त वर्णित अपराध धाराओं के दंडनीय आरोपों से आरोपी को दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

25- आरोपी न्यायिक निरोध में है, इसलिये उसकी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे स्वतंत्र करने हेतु जेल अधीक्षक को सूचित किया जावे।

26- जांच और विचारण के दौरान आरोपी दिनांक-3.5.2017 से दिनांक-2.4.2018 तक कुल-334 दिवस तक न्यायिक निरोध में रहा है। इसलिए आरोपी के न्यायिक निरोध की अवधि का धारा-428 दं.प्र.सं. के प्रावधान अनुसार प्रमाण-पत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न रखा जावे।

27- प्रकरण से संबंधित जप्तशुदा संपत्ति सह आरोपी राकेश से संबंधित है। इसलिये सह आरोपी राकेश से संबंधित प्रकरण में पारित आदेशानुसार ही जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण किया जावे। अन्यथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति का निराकरण किया जावे।

28- निर्णय की प्रतिलिपी जिला दंडाधिकारी, बड़वानी को धारा-365 दं.प्र. सं. के प्रावधान अनुसार सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित,
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

हस्ता/-
(रामेश्वर कोठे)

सत्र न्यायाधीश, बड़वानी (म.प्र)

हस्ता/-
(रामेश्वर कोठे)

सत्र न्यायाधीश, बड़वानी (म.प्र)